

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 28/2018

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

1. रामचन्द्र पुत्र बूलचन्द्र जाति सिन्धी निवासी बी डी-23 महावीर नगर बाड़मेर (मैसर्स सागर प्रोविजन स्टोर, एनएच-15, महावीर नगर बाड़मेर)
2. श्रवण कुमार पुत्र युधीष्टर जाति महेश्वरी निवासी मकान न. 636, वन विभाग के पास, बाड़मेर (मैसर्स मुस्कान मार्केटिंग कृषि उपज मण्डी बाड़मेर)
3. कमलसिंह पुत्र महावीरसिंह निवासी होली चौक, अर्थण्डी मार्ग, खण्डप, तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स सोमनाथ ट्रेडर्स आकाशवाणी रोड़ बाड़मेर का भागीदार)
4. कंचन कंवर पुत्री अक्षेन्पालसिंह निवासी 627, होली का चौक, अर्थण्डी मार्ग, खण्डप, तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स सोमनाथ ट्रेडर्स आकाशवाणी रोड़ बाड़मेर का भागीदार)
5. हरीराम अग्रवाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल बिछवालों का मौहल्ला, बीकानेर (द्वारा नवहारी फूड प्रोडक्ट एम 210, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर)
6. मदनलाल अग्रवाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल बिछवालों का मौहल्ला, बीकानेर (द्वारा नवहारी फूड प्रोडक्ट एम 210, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर)



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 एवं 52
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री तरुण व्यास, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 4से6 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

आदेश


दिनांक : 11.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सागर प्रोविजन स्टोर, एनएच 15 महावीर नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **26.07.2016** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ प्रोपराईटर फूड सोन पापड़ी जो कि 400-400 ग्राम के 10 पैकेट सील अवस्था में रखे हुए पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 पैकेट (400-400 ग्राम) प्रोपराईटर फूड सोन पापड़ी** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-668** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **प्रोपराईटर फूड सोन पापड़ी** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **प्रोपराईटर फूड** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** एवं **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण सं. 1से3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, किन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बन्द किया गया एवं प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।



खाद्य निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 09.08.2016 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का अप्रार्थीगण के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 एवं 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रुपये 20000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर